



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082020-221131
CG-DL-E-14082020-221131

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2425]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942

No. 2425]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SRAVANA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020

का. आ. 2731(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में NH50 के कि.मी. 65.952 से कि.मी. 111.409 जळकोट से टोगरी तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उदगीर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में NH50 के कि.मी. 65.952 से कि.मी. 111.409 जळकोट से टोगरी के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: लातूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: जळकोट					
गांव का नाम: घोनसी					
1	599	निजी	एग्रीकल्चर	0.2500000(हेक्टेयर)	0.2500000
2	600	निजी	एग्रीकल्चर	0.2300000(हेक्टेयर)	0.2300000
3	603	निजी	एग्रीकल्चर	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
गांव का नाम: कोलनुर					
1	75	निजी	एग्रीकल्चर	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
गांव का नाम: पाटोदा बु.					
1	501	निजी	एग्रीकल्चर	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
2	502	निजी	एग्रीकल्चर	0.2800000(हेक्टेयर)	0.2800000
3	586	निजी	एग्रीकल्चर	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
गांव का नाम: पाटोदा खु.					
1	15	निजी	एग्रीकल्चर	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
गांव का नाम: तिरुका					
1	100	निजी	एग्रीकल्चर	0.2500000(हेक्टेयर)	0.2500000
2	101	निजी	एग्रीकल्चर	0.9000000(हेक्टेयर)	0.9000000
3	4	निजी	एग्रीकल्चर	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
4	5	निजी	एग्रीकल्चर	0.4500000(हेक्टेयर)	0.4500000
5	99	निजी	एग्रीकल्चर	0.2600000(हेक्टेयर)	0.2600000

तालुक का नाम: उडगीर					
गांव का नाम: नावंदी					
1	286	निजी	एग्रीकल्चर	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
2	287	निजी	एग्रीकल्चर	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
गांव का नाम: तोगरी					
1	236	निजी	एग्रीकल्चर	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
2	258	निजी	एग्रीकल्चर	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
3	259	निजी	एग्रीकल्चर	0.4100000(हेक्टेयर)	0.4100000
4	260	निजी	एग्रीकल्चर	0.6500000(हेक्टेयर)	0.6500000
5	261	निजी	एग्रीकल्चर	0.3600000(हेक्टेयर)	0.3600000
6	270	निजी	एग्रीकल्चर	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
7	286	निजी	एग्रीकल्चर	0.3900000(हेक्टेयर)	0.3900000
8	287	निजी	एग्रीकल्चर	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
9	339	निजी	एग्रीकल्चर	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
10	340	निजी	एग्रीकल्चर	0.1500000(हेक्टेयर)	0.1500000
11	341	निजी	एग्रीकल्चर	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
12	385	निजी	एग्रीकल्चर	0.1000000(हेक्टेयर)	0.1000000
कुल				5.9300	5.9300

[फा. सं. 12037/41/2017-MAH(P-6)/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2020

S.O. 2731(E)—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH50 in the stretch of land from Km 65.952 to Km111.409 section Jalkot to Togri in the district of Latur in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Udgir in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH50 in the stretch of land from km 65/952 to km 111/409 section Jalkot to Togri in the district of Latur in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA		District: Latur			
S. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Jalkot					
Village: Ghonsi					
1	599	Private	Agriculture	0.2500000(Hectare)	0.2500000
2	600	Private	Agriculture	0.2300000(Hectare)	0.2300000
3	603	Private	Agriculture	0.1000000(Hectare)	0.1000000
Village: Kolnur					
1	75	Private	Agriculture	0.1000000(Hectare)	0.1000000
Village: Patoda Bhu.					
1	501	Private	Agriculture	0.0800000(Hectare)	0.0800000
2	502	Private	Agriculture	0.2800000(Hectare)	0.2800000
3	586	Private	Agriculture	0.1000000(Hectare)	0.1000000
Village: PatodaKhurd					
1	15	Private	Agriculture	0.1500000(Hectare)	0.1500000
Village: Tiruka					
1	100	Private	Agriculture	0.2500000(Hectare)	0.2500000
2	101	Private	Agriculture	0.9000000(Hectare)	0.9000000
3	4	Private	Agriculture	0.1500000(Hectare)	0.1500000
4	5	Private	Agriculture	0.4500000(Hectare)	0.4500000
5	99	Private	Agriculture	0.2600000(Hectare)	0.2600000
Taluk: Udgir					
Village: Navandi					
1	286	Private	Agriculture	0.1500000(Hectare)	0.1500000
2	287	Private	Agriculture	0.0800000(Hectare)	0.0800000

Village: Togari					
1	236	Private	Agriculture	0.0200000(Hectare)	0.0200000
2	258	Private	Agriculture	0.1100000(Hectare)	0.1100000
3	259	Private	Agriculture	0.4100000(Hectare)	0.4100000
4	260	Private	Agriculture	0.6500000(Hectare)	0.6500000
5	261	Private	Agriculture	0.3600000(Hectare)	0.3600000
6	270	Private	Agriculture	0.0500000(Hectare)	0.0500000
7	286	Private	Agriculture	0.3900000(Hectare)	0.3900000
8	287	Private	Agriculture	0.0500000(Hectare)	0.0500000
9	339	Private	Agriculture	0.0500000(Hectare)	0.0500000
10	340	Private	Agriculture	0.1500000(Hectare)	0.1500000
11	341	Private	Agriculture	0.0600000(Hectare)	0.0600000
12	385	Private	Agriculture	0.1000000(Hectare)	0.1000000
Total				5.9300	5.9300

[F. No. 12037/41/2017-MAH(P-6)/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.